* राज्य का महाधिवक्ता *

(Advocate General) अनुच्छेद - 165

* यह राज्य का प्रथम एंव सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है।
* इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है।
* इसका कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त / 5 वर्ष का होता है।
* इसे पद से राज्यपाल हटाता है।

* महाधिवक्ता बनने के लिए उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता होना अनिवार्य है।
* महाधिवक्ता राज्य का एकमात्र ऐसा अधिकारी है जो राज्य विधानमण्डल का सदस्य नहीं होते हुए भी उसके किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। परन्तु इसे यहां मत देने का अधिकार नहीं होता।
* इसका कार्य राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देना तथा न्यायालय में राज्य सरकार का पक्ष प्रस्तुत करना है।
* वर्तमान में राज्य के महाधिवक्ता — महेन्द्र सिंह सिंघवी

166

* राज्य सचिवालय एवं मुख्य सचिव *

* राज्य सचिवालय की स्थापना 1949 में जयपुर में हुई थी।
* यह राज्य का प्रमुख प्रशासनिक कार्यालय है। जहाँ से राज्य का शासन व प्रशासन चलाया जाता है।
* राज्य के मुख्यमंत्री, अन्य मंत्रियों, मुख्य सचिव एवं शासन सचिवों के कार्यालय सचिवालय में स्थित होते है।
* सचिवालय का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी 'मुख्य सचिव' होता है।
* मुख्य सचिव राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है तथा राज्य प्रशासन का मुखिया होता है।
* राज्य का प्रशासन मुख्य सचिव के नाम से चलाया जाता है।
* मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है।
* यह भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) का वरिष्ठतम

भारत (1798-99) — गवर्नर जनरल लार्ड वेलेजली द्वारा सचिव का पद स्थापित किया
भारत के Iवें मुख्य सचिव → जॉर्ज हिलेरी बालो

अधिकारी होता है तथा मुख्यमंत्री का विश्वासपात्र होता है।
* इसका कार्यकाल मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यन्त / 60 वर्ष की आयु होता है।

राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव → श्रीमती कुशलसिंह (27 फरवरी 2009)

* मुख्य सचिव के प्रमुख कार्य →

* मुख्यमंत्री को प्रशासनिक मामलो में सलाह देता है।
* राज्य प्रशासन के सभी विभागों में समन्वय स्थापित करता है तथा इनके कार्यों की सूचना मुख्यमंत्री को देता है।
* राज्य मंत्रिमण्डल की बैठको की कार्यसूची तैयार करता है, बैठको में भाग लेता है, बैठको में लिए गये निर्णयों को क्रियान्वित करता है।
* यह केबिनेट सचिव भी होता है।

* राज्य के प्रथम मुख्य सचिव – के. राधाकृष्णन थे। (3 अप्रैल 1949)
* वर्तमान में मुख्य सचिव – ~~D. B. गुप्ता~~ निरंजन आर्य

* राज्य लोक सेवा आयोग *
(अनुच्छेद – 315)

* इसका गठन 20 अगस्त 1949 को जयपुर में हुआ था तथा 1958 में इसे अजमेर स्थापित किया गया था।
* इसमें 1 + 7 = 8 सदस्य है।
* इनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है।
* इनका कार्यकाल 6 वर्ष / 62 वर्ष की आयु होता है।
* इनको पद से उच्चतम न्यायालय की सलाह से राष्ट्रपति हटाता है।
* राज्यपाल इनको निलम्बित कर सकता है पद से नहीं

हटा सकता।
* इनको वेतन राज्य की संचित निधि से प्राप्त होता है।
* यह अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को देता है।
* यह एक सलाहकारी आयोग है।

* इसका कार्य राजस्थान प्रशासनिक एवं अधीनस्थ सेवा के अधिकारियों की भर्ती / चयन करना उनकी पदोन्नति एवं उन पर अनुशासनहीनता पर कार्यवाही करने के लिए राज्यपाल को सलाह देना है।

* इसके प्रथम अध्यक्ष – सर एस. के घोष
• वर्तमान अध्यक्ष = ~~दीपक उप्रेती~~ भूपेन्द्र सिंह यादव

* राज्य मानवाधिकार आयोग * जयपुर

* इसके गठन की अधिसूचना 18 जनवरी 1999 को जारी हुई थी जबकि इसका विधिवत गठन मार्च 2000 में किया गया था।
* इसमें 1+2 = 3 सदस्य है।

* इनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है।
* इनका कार्यकाल 5 वर्ष / 70 वर्ष की आयु होता है।

* इनको पद से राज्यपाल हटाता है।
* इसका अध्यक्ष उच्चन्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य / अन्य न्यायाधीश को बनाया जाता है।
* यह अर्द्धन्यायिक आयोग है इसको सजा देने का अधिकार है।
* इसका कार्य राज्य में मानवाधिकारों के हनन से संबंधित घटनाओं की जांच करना तथा दोषियों को सजा देना है।
* इसके वर्तमान अध्यक्ष → ~~प्रकाश टाटिया~~ है। महेश चंद्र शर्मा